विभागीय चयन समिति
वन विभाग, हरियाणा
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला – 134109

विज्ञापन संख्याः 05/2013 **प्रकाशन तिथिः 19/08/2013**

वन विभाग, हरियाणा में माली/चौकीदार/सेवादार/सेवादार–सह–चौकीदार (वन्य प्राणी)/ माली–सह–चौकीदार (वन्य प्राणी)/कीपर (वन्य प्राणी)/चौकीदार (वन्य प्राणी)/सेवादार (वन्य प्राणी) की भर्ती।

ऑन लाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथिः 27/09/2013

वन विभाग, हरियाणा के विज्ञापन संख्या 4/DSC/2013 दिनांक 01–08–2013 के निरन्तर में एवं हरियाणा सरकार की आरक्षण नीति सम्बन्धित अधिसूचना क्रमांक 22/10/2013–IGS-III दिनांक 28/02/2013 के अनुसार वन विभाग द्वारा जारी विज्ञापन संख्या 01/2012 दिनांक 1–6–2012 के श्रेणी 1 से 8 पदों में विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में रिक्तियों की संख्या में बदलाव आने से विभिन्न पदों की चयन प्रक्रिया पुनः की जाएगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है।

इन पदों की भर्ती के लिए सभी पात्र व्यक्तियों से ऑन लाईन आवेदन पत्र दिनांक 26/08/2013 से 27/09/2013 तक मांगे जाते हैं जिसका प्रोर्फामा हरियाणा वन विभाग की सरकारी वैबसाईट *www.haryanaforest.gov.in* पर उपलब्ध है। सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ऑन लाईन आवेदन किसी भी साईबर कैफे, निजी कम्पयूटर (Personal Computer) जिसमें इन्टरनैट एवं प्रिंटर की सुविधा हो से भरें, जो कि आसानी से भरी जा सकती है। आवेदकों की सहायता के लिए हरियाणा के प्रत्येक जिला में वन मण्डल अधिकारी (क्षेत्रीय) के कार्यालय में एक विशेष कक्ष की स्थापना भी की गई है जहां पर ऑन लाईन आवेदन भरने की पूरी सुविधा है। कार्यालयों की सूचि एवं सम्पर्क नं0 उपरोक्त वैबसाईट पर उपलब्ध है।

पदों एवम् योग्यताओं का विवरण

श्रेणी 1 सेवादार (36 पद)

सामान्य–10, अनुसूचित जाति–6, पिछड़ा वर्ग (ए)–2, पिछड़ा वर्ग (बी)–2, भूतपूर्व सैनिक (सामान्य)–4, भूतपूर्व सैनिक (पिछड़ा वर्ग–ए)–1, भूतपूर्व सैनिक (पिछड़ा वर्ग–बी)–1, भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति)–1, शारीरिक रूप से विकलांग (सामान्य) –1, विशेष पिछड़ा वर्ग – 4, आर्थिक पिछड़ा वर्ग – 4

आवश्यक योग्याताएंः

क. मिडिल पास
ख. मिडिल तक हिन्दी भाषा का ज्ञान
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

श्रेणी 2 माली (70 **पद**)

सामान्य–25, अनुसूचित जाति–14, पिछड़ा वर्ग (ए)–4, पिछड़ा वर्ग (बी)–3, भूतपूर्व सैनिक (सामान्य)–6, भूतपूर्व सैनिक (पिछड़ा वर्ग–ए)–2, भूतपूर्व सैनिक (पिछड़ा वर्ग–बी)–2, भूतपूर्व सैनिक (अनुसूचित जाति)–2, शारीरिक रूप से विकलांग (सामान्य) –2, विशेष पिछड़ा वर्ग – 5, आर्थिक पिछड़ा वर्ग – 5

आवश्यक योग्याताएंः

क. मिडिल पास
ख. मिडिल तक हिन्दी भाषा का ज्ञान
ग. तीन वर्ष तक का माली के रूप में कार्य का अनुभव
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

नोटः माली का अनुभव हरियाणा वन विभाग/वन विभाग हरियाणा के अधीन स्थापित सोसायीटज्/कमेटी के द्वारा स्थापित नर्सरियों/सरकारी उद्यान विभाग एवम् अन्य सरकारी विभाग द्वारा स्थापित नर्सरी/पंजीकृत नर्सरी से प्राप्त किया होना अनिवार्य है।

श्रेणी 3 चौकीदार (50 **पद**)

सामान्य–15, अनुसूचित जाति–10, पिछड़ा वर्ग (ए)–2, पिछड़ा वर्ग (बी)–3, भूतपूर्व सैनिक (सामान्य)–6, भूतपूर्व सैनिक (पिछड़ा वर्ग–ए)–2, भूतपूर्व सैनिक (पिछड़ा वर्ग–बी)–2, विशेष पिछड़ा वर्ग– 5, आर्थिक पिछड़ा वर्ग– 5

आवश्यक योग्याताएंः

क. प्राईमेरी (पांचवी) पास
ख. हिन्दी भाषा का ज्ञान
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

श्रेणी 4 सेवादार–सह–चौकीदार, वन्य प्राणी (4 पद)

सामान्य–2, पिछड़ा वर्ग (ए)–1, शारीरिक रूप से विकलांग–1

आवश्यक योग्याताएंः

क. मिडिल पास

ख. मिडिल तक हिन्दी एवम् अग्रेंजी भाषा लिखने एवं पढ़ने में सक्षम
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

श्रेणी 5 माली–सह–चौकीदार, वन्य प्राणी (2 पद)

सामान्य–1, पिछड़ा वर्ग (ए)–1

आवश्यक योग्याताएंः

क. मिडिल पास
ख. मिडिल तक हिन्दी एवम् अग्रेंजी भाषा लिखने एवं पढ़ने में सक्षम
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

श्रेणी 6 कीपर, वन्य प्राणी (3 पद)

सामान्य–1, विशेष पिछड़ा वर्ग –1, पिछड़ा वर्ग (ए)–1

आवश्यक योग्याताएंः

क. मिडिल पास
ख. मिडिल तक हिन्दी एवम् अग्रेंजी भाषा लिखने एवं पढ़ने में सक्षम
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

श्रेणी 7 चौकीदार, वन्य प्राणी (1 पद)

सामान्य–1

आवश्यक योग्याताएंः

क. मिडिल पास
ख. मिडिल तक हिन्दी एवम् अग्रेंजी भाषा लिखने एवं पढ़ने में सक्षम
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

श्रेणी 8 सेवादार, वन्य प्राणी (4 पद)

सामान्य–1, पिछड़ा वर्ग (ए)–1, भूतपूर्व सैनिक (सामान्य) –1, आर्थिक पिछड़ा वर्ग –1

आवश्यक योग्याताएंः

क. मिडिल पास
ख. मिडिल तक हिन्दी एवम् अग्रेंजी भाषा लिखने एवं पढ़ने में सक्षम
उम्र 16–40 वर्ष
वेतनमान रूपये 4440–7440+1300/– ग्रेड़ पे

नोटः उन सभी आवेदकों को जो श्रेणी 1 से 8 के पदों के लिए नये आवेदन भर रहे हैं उनके लिए आयु सीमा 16–40 वर्ष विज्ञापन की समाप्ति की तिथि रहेगी। जिन आवेदकों ने पहले के विज्ञापन दिनांक 01/2012 दिनांक 01–06–2012 के अनुसार आवेदन दिया था उनके लिए उस विज्ञापन में दिये गये आयु सीमा लागू रहेगी।

सामान्य दिशा–निर्देश

ऑन लाईन आवेदन भरने की प्रकियाः–

ऑन लाईन आवेदन भरने के लिए आवेदकों को वैबसाईट *www.haryanaforest.gov.in* लॉग इन (log in) करनी चाहिए जो कि दिनांक 26/08/2013 (सुबह 9:00 बजे) से 27/09/2013 (सांय 5:00 बजे) तक खुली रहेगी। आवेदन पत्र भरने से पहले आवेदक वैबसाईट पर दिये गये फॉरमेट में सभी आवश्यक जानकारी ऑन लाईन भर दें। ऑन लाईन जानकारी भरने के पश्चात् आवेदकों को आवेदन पत्र की प्रति (print-out) लीगल साईज के कागज (21.59 cm x 35.56 cm) पर निकालनी चाहिए। सिर्फ ऑन लाईन भरे हुए आवेदन पत्रों की प्रति ही आवेदन पत्र के रूप में स्वीकार की जाएगी। कागज पर हाथ से भरा अथवा टाईप किये हुए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें। सभी प्रिंटेड़ आवेदन पत्रों पर एक पंजीकृत संख्या लिखा होगा जिसे अभ्यार्थी भविष्य में पत्राचार के लिए और अन्य संदर्भों के लिए इस्तेमाल कर सकेंगें। ऑन लाईन आवेदन भरने के समय सभी अभ्यार्थियों के पास उचित राशी के डिमाण्ड़ डाफट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर होने चाहिए जिसका विवरण ऑन लाईन आवेदन पत्र में देना अनिवार्य है। सभी अभ्यार्थी आवेदन पत्र में न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता एवं उससे उपर की परीक्षाओं में प्राप्त अंकों, अधिकतम अंक एवम् उसकी प्रतिशत का विवरण देना अनिवार्य है। पूर्णतया ऑन लाईन आवेदन भरने के पश्चात् आवेदकों को आवेदन पत्र की प्रिंटेड़ प्रति लेकर उस पर उपयुक्त स्थान पर अपना नवीनतम पार्सपोर्ट साईज का फोटो चिपकाना एवं निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर करना सुनिश्चित करें। सभी आवेदक कर्ता डीमाण्ड ड्राफट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर के पीछे अपना नाम, पता, पंजीकरण नं0 जो कि आवेदन पत्र पर दिया होगा, लिख कर एवं अपने प्रिंटेड़ आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर उसे निम्नलिखित पते पर पंजीकृत डाक से भेज दें।

सचिव, विभागीय चयन समिति कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सामुदायिकी वानिकी परियोजना, वन विभाग हरियाणा, सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला (हरियाणा) – 134109

पजींकृत लिफाफे पर **'आवेदन पत्र .... पद के लिए'** अवश्य लिखें। पंजीकृत डाक द्वारा सभी आवेदन पत्र उपरोक्त कार्यालय में 11/10/2013 तक अवश्य प्राप्त हो जाने चाहिए।

वे आवेदन कर्ता, जिन्होंनें पहले प्रकाशित विज्ञापन संख्या 01/2012 तिथि 01/06/2012 के द्वारा श्रेणी 1 से 8 के पदों के लिए आवेदन किया था, उन्हें पुनः आवेदन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु वैसे

सभी आवेदकों को पुनः ऑन लाईन आवेदन पत्र (re-application form) जो कि वैबसाईट पर अलग से दिया गया है, भरना पड़ेगा। उन्हें आवेदन पत्र के साथ पहले जमा किये फीस की चालान/डिमाण्ड़ ड्राफट/भारतीय पोस्टल आर्डर का विवरण देना होगा। अगर वे अपना श्रेणी बदलना चाहते हों तो उन्हें दोबारा नया आवेदन पत्र ऑन लाईन भरना होगा और उन्हें उस श्रेणी के लिए निर्धारित फीस भी जमा करनी पड़ेगी।

एक पद के लिए एक आवेदक द्वारा एक से अधिक आवेदन स्वीकार नहीं किए जायेंगे।

सभी सरकारी कर्मचारी अपना आवेदन पत्र उचित माध्यम द्वारा भेजें परन्तु वें अपना आवेदन पत्र ऑन लाईन भरकर उसकी अग्रिम प्रति सीधा विभागीय चयन समिति वन विभाग हरियाणा को विचार के लिए भेज सकते हैं।

चयन की प्रक्रियाः–

आवेदकों का चयन उसके द्वारा न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंक/साक्षात्कार/या कोई अन्य उचित मापदण्ड के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा नहीं होगी। सभी आवेदनकर्ताओं के द्वारा प्राप्त न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता में प्राप्त अंक के आधार पर एक कट आफ लिस्ट निर्धारित की जाएगी और उन सभी आवेदनकर्ताओं जिन्होनें इन न्यूनतम कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त किये हों, उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। सभी अभ्याथी निर्धारित स्थान पर अपने प्राप्तांक अवश्य लिखें। यदि क्वालिफाइंग परीक्षा के प्राप्तांक उपलब्ध नहीं हैं तो उससे उच्च परीक्षा के प्राप्तांक लिखें। इस संदर्भ में विभागीय चयन समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

पात्रता

वे आवेदनकर्ता उपरोक्त पदों के लिए पात्र होगें जो

क. भारत का निवासी हो।

ख. नेपाल का सब्जैक्ट हो।

ग. भूटान का सब्जैक्ट हो।

घ. तिब्बती शरणार्थी जो भारत में 01 जनवरी, 1962 के पहले अस्थायी रूप से भारत में बसने के लिए आये हों।

ड़ भारत मूल के वे सभी व्यक्ति जो पाकिस्तान, म्यॅामार, श्रीलंका और कोई अन्य पूर्व अफ्रीकन देश – केन्या, उगाण्ड़ा, सयुंक्त संघ तंजानिया, जाम्बिया, मलावी, जायरे और इथोपिया से भारत में अस्थायी रूप से बसने के लिए आये हों।

बशर्ते वे सभी व्यक्ति जो श्रेणी 'ख', 'ग', 'घ' तथा 'ड़' के हैं उन्हें सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी की गई हो।

आवेदन फीसः

सभी डिमाण्ड़ डाफट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर "**सचिव, विभागीय चयन समिति, हरियाणा वन विभाग**" के नाम पर जारी होना चाहिए जो चण्ड़ीगढ़/पंचकूला में देय होनी चाहिए।

विभिन्न श्रेणी के आवेदकों के लिए निम्नलिखित फीस निर्धारित हैः

सामान्य श्रेणीः– 100 रूपये, अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्गः– 25 रूपये (केवल हरियाणा के आवेदकों के लिए)

शारीरिक रूप से विकलांग आवेदकों जो हरियाणा राज्य से हैं को सरकार के निर्देश संख्या 22/70/2011–1GS-III दिनांक 01–05–2012 के तहत फीस देने की छूट है। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग के आवेदनकर्ताओं को फीस में कोई छूट नहीं है। हरियाणा के भूतपूर्व सैनिक आवेदकों को फीस में पूरी छूट दी गई है परन्तु उन पर आश्रित आवेदकों को सामान्य, अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ा वर्ग के आवेदकों की भांति फीस देना अनिवार्य है।

अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग/शारीरिक रूप से विकलांग/भूतपुर्व सैनिक आवेदकों को फीस में कोई छूट प्राप्त नहीं है उन्हें सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित फीस जमा करनी होगी।

मनी आर्डर अथवा नगद के रूप में फीस स्वीकार नहीं होगी। एक बार फीस जमा करने के बाद उसे हस्तांतरित अथवा वापिस नहीं किया जाएगा। विज्ञापन जारी होने की तिथि के पहले तथा आवेदन पत्र के प्राप्ति की अन्तिम तिथि के बाद ली गई डीमाण्ड डाफट अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर मान्य नहीं होगी।

आयु में छूटः

क. हरियाणा सरकार के द्वारा जारी निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/पिछड़ा वर्ग को अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक को सेना में लगातार सेवा अवधि के अतिरिक्त तीन वर्ष की छूट होगी।

ख. विधवा, कानूनी रूप से अलग हुई महिलाएं, तलाकशुदा, परित्यक्त महिलाएं एवम् अविवाहित महिलाओं के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष होगी।

ग. हरियाणा सरकार की अधिसूचना कमांक 22/10/2013–IGS-III दिनांक 28–02–2013 के अनुसार शारीरिक रूप से विकलांग को अधिकतम आयु में 10 वर्ष की (अनुसुचित जाति एवं पिछ़डा वर्ग के लिए 15 वर्ष की) छूट मान्य हागी।

पदों का आरक्षणः

हरियाणा सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 22/10/2013–1GS-III दिनांक 28–02–2013 के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के पदों में विभिन्न आरक्षित वर्गों के लिए निर्धारित आरक्षण दिया जायेगा।

विकलांग भूतपूर्व सैनिकों/युद्ध के दौरान मारे गये/विकलांग हुए भूतपूर्व सैनिकों पर आश्रित व्यक्तियों के लिए हरियाणा सरकार की निर्देश संख्या 945–GS-II/72/6451 दिनांक 06–03–1972 के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा।

नोट 1: विकलांग भूतपूर्व सैनिक का तात्पर्य भूतपूर्व सैनिक है जो कि संघीय सैन्य बल द्वारा शत्रुओं के विरूद्ध कार्यवाही में विकलांग हुए हों।

नोट 2: आश्रितों से तात्पर्य/पत्नी/विधवा एवं निर्भर पुत्र एवं पुत्री हैं।

भूतपूर्व सैनिकों पर आश्रित पुत्रों जो शैक्षिणक आयु आदि की शर्तें पूरी करते हों वे मैरिट के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरिक्षत पदों के लिए तब विचार किया जायेगा जब उचित भूतपूर्व सैनिक ना उपलब्ध हो। स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र एवं पौत्र भी हरियाणा सरकार के पत्र कमांक 22/20/83–3GS-III दिनांक 26–07–1984 के तहत विचारणीय होंगें अगर भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित पदों के लिए उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक अथवा उनके आश्रित उपलब्ध ना हो।

भूतपूर्व सैनिक/आश्रित आवेदनकर्ताओं को नवीनतम पात्रता प्रमाण पत्र सम्बन्धित जिला सैनिक बोर्ड से प्राप्त कर साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। केवल आश्रित होने का प्रमाण पत्र पर्याप्त नहीं होगा। भूतपूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के समय सम्बन्धित जिला सैनिक बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

हरियाणा सरकार के पत्र कमांक 12/37/79/GS-II दिनांक 21–11–1980 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों पर आश्रित आवेदकों की पात्रता निर्धारित होगी।

सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/पिछड़े वर्ग/आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग/विकंलांग एवं भूतपूर्व सैनिकों एवम् खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा। उसी प्रकार खिलाड़ियों को खेल वर्गीकरण प्रमाण पत्र जो कि सरकार के नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो उसे साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिकों पर आश्रित आवेदकों को नवीनतम पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

न्यूनतम शैक्षिणक योग्यता आवेदन के प्राप्त होने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित होगी।

आवेदनकर्ताओं को ऑन लाईन आवेदन पत्र भरते समय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इन पदों के लिए आवेदन भरने की अन्तिम तिथि को पात्र हैं। अगर साक्षात्कार के समय यह पाया गया कि आवेदनकर्ता इन पदों के लिए निर्धारित की गई पात्रता पूरी नहीं करता है अथवा आवेदक ने गलत सूचना उपलब्ध करवाई है तो आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा।

अनुभव केवल आवश्यक शैक्षिणक योग्यता के अन्तर्गत अर्जन के पश्चात् विचार किया जायेगा।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने वाले अभिलेख :

आवेदन पत्र के साथ कोई भी मूल अथवा छायाप्रति अभिलेख संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। केवल डीमाण्ड़ ड्राफट/भारतीय पोस्टल आर्डर जिसके पीछे आवेदनकर्ता का पूरा नाम, पता, पंजीकरण संख्या लिख कर ऑन लाईन भरे आवेदन पत्र की प्रति पर पासपोर्ट साईज फोटो लगा कर एवम् निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर कर भेजी जानी आवश्यक है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि अपने पास डीमाण्ड़ ड्राफट की छायाप्रति अथवा भारतीय पोस्टल आर्डर की रसीद एवम् अन्य अभिलेखों के साथ आवेदन पत्र की भी छायाप्रति सुरक्षित रखें एवम् साक्षात्कार के समय बुलाये जाने की स्थिति में इन्हें मूल दस्तावेज के साथ प्रस्तुत करें।

सामान्य दिशा निर्देश

1. ऑन लाईन आवेदन करने से पहले दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ ले।
2. विस्तुत दिशा निर्देश वन विभाग की वैबसाईट *www.haryanaforest.gov.in* पर उपलब्ध हैं।
3. ऑन लाईन आवेदन भरने के लिए वैबसाईट 26/08/2013 को प्रातः 9:00 बजे खुलेगी और 27/09/2013 को सांय 5:00 बजे बन्द होगी।
4. बिना ऑन लाईन भरे आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगें।

निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगाः

1. अगर आवेदक एक पद के लिए विभिन्न श्रेणियों में एक से ज्यादा आवेदन पत्र देता है।
2. अगर आवेदन पत्र ऑन लाईन वन विभाग में विभागीय वैबसाईट *www.haryanaforest.gov.in* पर इस विज्ञापन के तहत नहीं दिया जाता है।
3. अगर प्रिटेंड़ आवेदन पत्र पर आवेदक द्वारा निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षर नहीं किया गया है।
4. अगर विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित आवेदन फीस जमा नहीं की जाती है और उसका विवरण आवेदन पत्र में नहीं दिया जाता है और साथ में डीमाण्ड़ ड्राफट एवम् भारतीय पोस्टल आर्डर मूल रूप में सलंग्न नहीं किया जाता है।
5. अगर अनुभव प्रमाण पत्र में कार्य करने की समय अवधि का विस्तृत विवरण तिथि के साथ एवम् वेतन का पूर्ण विवरण संलग्न नहीं किया जाता है (जहां पर अनुभव का प्रमाण पत्र अनिवार्य है)।
6. अगर आवेदन पत्र सचिव, विभागीय चयन समिति कार्यालयः मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा सामुदायिकी वानिकी परियोजना, वन विभाग हरियाणा, सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला, 134109 के कार्यालय में 11/10/2013 तक प्राप्त नहीं होता है तो उनके आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। विभागीय चयन समिति डाक में हुई देरी के लिए जिम्मेवार नहीं होगी।
7. अगर आवेदनकर्ता कट ऑफ तिथि के दिन सभी अनिवार्य शैक्षिणक योग्यता नहीं रखता है।
8. अगर आवेदनर्ता कट ऑफ तिथि को निर्धारित आयु सीमा से कम या अधिक है।
9. अगर आवेदनकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में दिखाई देने योग्य विशेष पहचान चिन्ह् नहीं अंकित करता है।

हस्ताक्षर

सचिव–सह–वन संरक्षक सामाजिक वानिकी
कार्यालय मुख्य वन संरक्षक सामुदायिक वानिकी
वन भवन, सेक्टर 6, पंचकुला, हरियाणा।

आवेदन पत्र का प्रारूप (इसका उपयोग आवेदन पत्र भेजने के लिए प्रयोग ना करें)
केवल ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्र ही स्वीकार्य होगें। इस प्रपत्र का उपयोग केवल ऑन लाईन आवेदन भरने के लिए करें।

हरियाणा वन विभाग **केवल पजीकृत डाक द्वारा**

सी—18, सैक्टर—6, पंचकूला— 134109

.... के पद के लिए आनॅलाईन आवेदन पत्र

आवेदन पत्र कमांक

1. आवेदक का नामः
2. पिता का नामः
3. जन्म तिथिः
4. आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक की आयु: वर्षः माहः दिनः
5. लिंगः वर्गः
7. क्या आप हरियाणा के मूल निवासी हैं? राष्ट्रीयता
9. पत्र व्यवहार के लिए नाम एवं पूरा पता

यहां अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो चिपकाएं

आवेदक के हस्ताक्षर

नामः
पताः

राज्य जिला
दूरभाष पिन कोड़

10. शैक्षिणक योग्यताएंः

शैक्षिणक योग्यता (पांचवी / आठवीं / दसवीं / उच्च कक्षाओं का विवरण)	किस वर्ष में उर्तीण की	प्राप्तांक	कुल अंक	प्रतिशत	श्रेणी	स्कूल / बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	विषय

11. अनुभव संस्था का नाम वेतन प्रति माह

अवधि तिथि से अवधि तिथि तक
वर्ष माह दिन

12. आवेदक के शरीर पर प्रत्यक्ष पहचान चिन्ह्
13. बैंक विवरण

भुगतान का विवरणः डी0डी0 बैंक / डाक खाना का नामः
डी0डी0 / आई0पी0ओ0 संख्या
जमा करने की तिथि : (राशि रूपये)

14. घोषणा: मैं अदतः द्वारा घोषणा करता हूं कि

1. मेरे द्वारा आवेदन—पत्र में दी गई सूचना मेरे विश्वास एवं जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सही है। मेरे द्वारा दी गई सूचना यदि किसी भी अवस्था में झूठी अथवा गल्त पाई जाती है, उस अवस्था में मेरी उम्मीदवारी साक्षात्कार / चयन / नियुक्ति के पश्चात् भी मेरी पात्रता रदद् कर दी जाए एवं मेरे विरूद्ध कार्यवाही कर ली जाए।
2. मैनें कमेटी द्वारा दिये गये विज्ञापन के नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया है और मैं उनका दृढ़ता से पालन करने का वचन देता हूँ। मैं विज्ञापन में दी गई योग्यता / पात्रता जैसे कि आयु शैक्षिणक योग्यता इत्यादि सम्बन्धित नियम एवं हिदायतों को पूर्ण करता हूँ।
3. मैं कभी भी आपराधिक मामलों में न्यायालय द्वारा दंड़ित नहीं किया गया हूँ।

स्थानः
दिनांकः

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
(बिना हस्ताक्षर के आवेदन पत्र रदद् कर दिया जायेगा)